बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

दिनांक :– 07/10/2023

क्रमांक / स्वा. / 2023 / 29796

–: ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या 02 (वर्ष 2023–24) :–

बीकानेर शहर को रेबीज मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम बीकानेर की सीमा से आवारा श्वानो (नर–मादा) को पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोडने का कार्य कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम व शर्ते निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org तथा पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 13.10.2023 अपलोड करने की अंतिम दिनांक 13.10.2023 तकनिकी बिड खोलने की दिनांक 14.10.2023 है। निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध है। तकनीकि बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
कार्य की अनुमानित लागत – 97 लाख

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर
दिनांक :– 07/10/2023

क्रमांक / स्वा. / 2023 / 29796–801

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार विक्रय तिथि से समुचित समय पूर्व कम से कम स्पेस में नियमानुसार राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय अंग्रेजी मुख्य दैनिक समाचार पत्र दिल्ली एवं जयपुर संस्करण में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर को सूचनार्थ।
4. ओसवाल डाटा नगर निगम बीकानेर को भेज कर लेख है कि निविदा को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवावे।
5. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक / स्वा. / 2023 / 29802 **दिनांक :– 07/10/2023**

–: ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या 02 (वर्ष 2023–24) :–

बीकानेर शहर को रेबीज मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम बीकानेर की सीमा से आवारा श्वानो (नर–मादा) को पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोडने का कार्य कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम व शर्ते निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org तथा पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 13.10.2023 अपलोड करने की अंतिम दिनांक 13.10.2023 तकनिकी बिड खोलने की दिनांक 14.10.2023 है। निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध है। तकनीकि बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

कार्य की अनुमानित लागत – 97 लाख

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक / स्वा. / 2023 / 29803 **दिनांक :– 07/10/2023**

–: ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या ..02.. (वर्ष 2023–24) :–

बीकानेर शहर को रेबीज मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम बीकानेर की सीमा से आवारा श्वानो (नर–मादा) को पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोडने का कार्य कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिए संगठन/संस्थाये सोसायटी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त/अन्य तत्सम्बन्धि विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा संगठन/संस्थाये सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में पंजीकृत हो अथवा पशु चिकित्सक जिन्होने वीसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी और ए.एच. की डिग्री प्राप्त कर ली हो तथा जो राजस्थान वेटनेरी कॉउन्सील (आरवीसी) व वेटनेरी कॉउन्सील ऑफ इण्डिया (वीसीआई) से पंजिकृत हो के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम व शर्ते निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org तथा पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध है तकनीकि बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

कार्य की अनुमानित लागत – 97.00 लाख
निविदा प्रपत्र शुल्क – 1000/- रूपये (ऑनलाईन)
ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क – 1000/– रूपये (ऑनलाईन)
निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक – 13.10.2023 शाम 6:00 बजे तक
निविदा दर अपलोड करने की अंतिम दिनांक – 13.10.2023 शाम 6:00 बजे तक
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक – 14.10.2023 शाम 04:00 बजे तक
सफल निविदादाताओं की ही वितीय बिड खोली जावेगी। सभी दस्तावेज ऑनलाईन ही अपलोड करने अनिवार्य है।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक / स्वा. / 2023 / 29803–808 **दिनांक :– 07/10/2023**

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार विक्रय तिथि से समुचित समय पूर्व कम से कम स्पेस में नियमानुसार राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें।
2. जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर को सूचनार्थ।
4. ओसवाल डाटा नगर निगम बीकानेर को भेज कर लेख है कि निविदा को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवावे।
5. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./2023/29809 **दिनांक :–07/10/2023**

तकनीकी बिड (प्रथम भाग)

1. ई–निविदा सूचना संख्या – 02 /2023–24
2. कार्य का नाम :– आवारा श्वानों (नर/मादा) का सर्वे कर नियमानुसार पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोड़ने का कार्य प्रतिदिन आवश्यकतानुसार
3. फर्म का नाम :–
4. निविदा शुल्क रसीद क्रमांक :– दिनांक :– रकम :–
5. अमानत राशि रसीद क्रमांक :– दिनांक :– रकम :–
6. डाउनलोड करने की अंतिम तिथि : 13.10.2023 6:00 PMतक
7. अपलोड करने की अंतिम तिथि : 13.10.2023 6:00 PMतक
8. तकनीकी बीड खोलने की दिनांक : 14.10.2023 11:00 AM

(http://eproc.rajasthan.gov.in)

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	निविदा शुल्क 1000/–रूपयें, प्रोसेसिंग फीस 1000/–रूपयें भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर PAY पर ऑनलाईन ऑपशन पर करना होगा। संवेदक के भुगतान के पश्चात् रशीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड़ करना होगा।
2	निविदा बिड़ सिक्योरिटी राशि 1,94,000/–रूपयें (अनुमानित निविदा राशि के 02 प्रतिशत सामान) का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर PAY पर ऑनलाईन ऑपशन पर करना होगा। संवेदक के भुगतान के पश्चात् रशीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड़ करना होगा। निविदा बिड़ सिक्योरिटी में छूट प्रदान नही की गयी है। बिड़ सिक्योरिटी राशि अनुमानित निविदा राशि के 02 प्रतिशत सामान होगी।
3	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नही होने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ–पत्र (मूल)
4	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
5	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
8	कार्यादेश जारी करने से पूर्व संगठन/संस्थाओ को बध्याकरण एवं टीकाकरण करने हेतु उन्हे रखने, ऑपरेशन थियेटर सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरणो की उपलब्धता सम्बन्धित 50/– रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9	1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एन जी ओ/अन्य तत्सम्बन्धि विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। अथवा 2. संगठन/संस्थाये सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में पंजीकृत हो अथवा 3. पशु चिकित्सक जिन्होने वीसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी और ए.एच. की डिग्री प्राप्त कर ली हो तथा जो राजस्थान वेटनेरी कॉउन्सील (आरवीसी) व वेटनेरी कॉउन्सील ऑफ इण्डिया (वीसीआई)
10	संगठन/संस्था/फर्म का गत 03 वर्षो में (2020–21, 2021–22, 2022–23) प्रति वर्ष 70.00/– लाख रूपयें का टर्न ओवर सीए द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र।
11	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि।

उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियां स्केन करके अपलोड करने एवं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक / स्वा. / 2023 / 29509 दिनांक :– 07/10/2022

वित्तिय बिड (द्वितीय भाग)

1. ई–निविदा सूचना संख्या – 02.../2023–24
2. कार्य का नाम :– आवारा श्वानों (नर/मादा) का सर्वे कर नियमानुसार पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोड़ने का कार्य प्रतिदिन आवष्यकतानुसार
3. फर्म का नाम :–
4. निविदा शुल्क रसीद क्रमांक :– दिनांक :– रकम :–
5. अमानत राशि रसीद क्रमांक :– दिनांक :– रकम :–

आयुक्त

बीकानेर नगर निगम

दर प्रस्ताव

आवारा श्वानों (नर/मादा) का सर्वे कर नियमानुसार पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोड़ने का कार्य	प्रति आवारा श्वान निविदा शर्तो के अनुसार समस्त करो सहित रूपये ....शब्दो में .. ..

उक्त दी गई दर पर कार्य तकनीकी बिड में संलग्न शर्तो अनुसार कार्य करने तथा समस्त करों एवं ईपीएफ/ईएसआई भरने आदि के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नगरीय क्षेत्र से आवारा श्वान को पकड़कर बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण कार्य की निविदा सूचना संख्या ... ..02.. (वर्ष 2023–24) निविदा शर्ते

बीकानेर नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में निगम क्षेत्र में ऐनिमल बर्थ कन्ट्रोल कार्यक्रम 2001 के तहत लावारिश श्वानों का बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण कराये जाने हेतु नियम व शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है–

1. संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक बीकानेर शहर के वार्ड संख्या 1 से 80 वार्डों में काम करेगी।
2. संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा अन्य संस्था को Sub-Contract and Partnership किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जावेंगी। ऐसा करने की जानकारी प्राप्त होते ही चयन निरस्त किया जा सकेगा।
3. संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा निर्धारित समय पर कार्य नहीं करने, निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने की स्थिति में संस्था का चयन निरस्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार बीकानेर नगर निगम को होगा।
4. राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक Secy/LSG/07/92 दिनांक 26.04.2007 के अनुसार निम्न पालना की जानी आवश्यक है –
   - (अ) बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण हेतु आवश्यक दवाईयां एवं उपकरण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें।
   - (ब) योग्य एवं अनुभवी पशु चिकित्सक एवं दो प्रशिक्षित केचर की व्यवस्था संगठन/संस्था को अपने स्तर पर करनी होगी।
   - (स) श्वान पकड़ने का वाहन 02 नग संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा 500/– प्रतिदिन प्रतिवाहन शास्ति वसूल की जावेगी। इन पर वाहन चालक व डीजल आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी।
5. संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक को भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी संलग्न परिपत्र दिनांक 24.12.2001 पर सहमति हस्ताक्षर किये जाने तथा इस संबंध मे भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/जारी किये जाने वाले निर्देशों की अक्षरशः पालना करनी होगी। जिसके कुछ मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है
   - (अ) पकड़े गये नर, मादा, लावारिश श्वानों को खुले हवादार, प्राकृतिक रोशनी व साफ–सुथरे हाऊस मे अलग–अलग रखा जाना आवश्यक होगा।
   - (ब) रेबीज श्वानों को अलग से इंसूलेशन वार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा।
   - (स) लावारिश श्वानों को पकड़ने का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों द्वारा मानवीयता रखते हुए सॉफ्ट लूप सामग्री का उपयोग करते हुए किया जावे। श्वान पकड़ने व छोड़ते समय संगठन/संस्था का एक प्रतिनिधि टीम के साथ उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
   - (द) पकड़े गये लावारिश श्वानों का बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण हेतु 05 दिवस तक रोका जा सकेगा। स्टे दौरान उन्हे साफ–पानी एवं पौष्टिक भोजन आदि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
   - (य) पकड़े गये लावारिश श्वानों को वापस उसी स्थान पर छोड़ा जावें, जहां से उसे पकड़ा गया था। छोड़ने से पूर्व लावारिश श्वान (बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण वाला) के बायें कान पर ईयर नोचिंग करना आवश्यक होगा। जिसका इन्द्राज पंजिका में होना आवश्यक है।
   - (र) पकड़े गये लावारिश श्वानों का रिकॉर्ड रखने हेतु एक स्थायी रजिस्टर संधारित करना होगा जिसमें दिनांक, समय एवं श्वान को पकड़ने वाले स्कावर्ड में लगे व्यक्तियों का नाम एवं क्षेत्र का पूर्ण विवरण इन्द्राज करना होगा। अन्यथा 5000/– रूपये तक शास्ति वसूल की जावेगी।
6. बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण करने के उपरान्त लावारिश श्वान के कान पर ईयर नोचिंग किया जावेगा।
7. पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित कराई गई बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण किये गये लावारिश श्वानों की साप्ताहिक रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी।

8. चयनित संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा सात दिवस में नियमानुसार नॉन ज्यूडिश्यल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध अनिवार्य रूप से करना होगा। समय पर अनुबंध निष्पादित नही करने पर संस्था का चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

9. संगठन/संस्थाये सोसायटी/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में पंजीकृत हो या तत्समय प्रवृत किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा पशु चिकित्सक जिन्होने वीसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी और ए.एच. की डिग्री प्राप्त कर ली हो तथा जो राजस्थान वेटनेरी कॉउन्सील (आरवीसी) व वेटनेरी कॉउन्सील ऑफ इण्डिया (वीसीआई) से पंजिकृत हो।

10. संगठन/संस्थाओ/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक के पास उपलब्ध ऑपरेशन करने एवं श्वान पकड़ने के कार्य सम्बन्धी व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करवानी होगी।

11. संगठन/संस्थाओं/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सकें के पास बध्याकरण एवं टीकाकरण करने हेतु उन्हे रखने, ऑपरेशन थियेटर, कैनल आदि सम्बन्धी इन्फारट्रक्चर एवं उपकरणो की उपलब्धता संबधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। भुगतान बध्याकरण श्वानो के वास्तविक संख्या के आधार पर किया जावेगा।

12. संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक के पास उपलब्ध ऑपरेशन व टीकाकरण तथा श्वान पकड़ने वाले कार्मिकों/विशेषज्ञों का विवरण:–

क्रसं.	कार्मिक नाम/विशेषज्ञ	शैक्षणिक योग्यता
1.	2.	3.

13. संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन स्वच्छता निरीक्षक,मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

14. संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा प्रतिदिन किये गये ऑपरेशन कार्य की सीडी/पैन ड्राईव का सत्यापन अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करनी होगी।

15. संगठन/संस्थाओ/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा प्रत्येक माह का बिल उपायुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी स्वच्छता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य शाखा द्वारा संधारित अभिलेख अनुसार सत्यापन की जाच कर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

16. संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा किये गये श्वानो नर/मादा के ऑपरेशन से निकाले गये जननांगो को सुरक्षित रखना होगा। जो प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5 तारीख तक राजकीय पशु चिकित्सक द्वारा गणना करने के पश्चात् बायोवेस्ट संस्था को सुपुर्द कर निस्तारण करना होगा तथा फोटो मय राजकीय पशु चिकित्सक की प्रमाणित रिपोर्ट निगम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। समस्त निविदा शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा। श्वानों की संख्या में कमी अथवा वृद्वि हो सकती है।

18. श्वानों को पकड़ने, बध्याकरण करने तथा टिकाकरण कार्य करते समय "पशु क्रुरता नियम" का पालन करना होगा, अन्यथा 5000/– प्रतिश्वान शास्ति आरोपित की जावेगी तथा संबधित नियमों के तहत कार्यवाही की जावगी।

19. कार्य आदेश प्राप्ति होने के 07 दिवस में निविदा दाता को निविदा शर्तों के अनुरूप कार्य शुरू करना होगा। नियमानुसार सफल निविदादाता द्वारास्वयं के खर्चे पर नॉन ज्यूजिडशियल स्टाम्प पर कय कर अनुबन्ध निष्पादित नही करने पर कार्य के आगामी आदेश तक 1000/–प्रतिदिन शास्ती लगेगी ।

20. निविदा की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष तक के लिये मान्य होगी । निविदा अवधि समाप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में यह अवधि आगामी निविदा सम्पन्न नहीं होनें तक इसी दर पर बढ़ाई जा सकती है । इस संबंध में निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

21. निविदा दाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा अमानता एवं सुरक्षित धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

22. फर्म द्वारा कार्य सम्पादन हेतु अनुबंध के साथ 05 प्रतिशत परफोमेंस सिक्योरिटी राशि (प्रतिभूति राशि) निगम कोष में जमा करवानी होगी।

23. RTTP एक्ट 2012/नियम 2013 की समस्त प्रावधान लागू होगें।
24. संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा कार्य करने में असफल तथा कार्य सन्तोष जनक रूप से सम्पादित नहीं करने पर निगम अन्य संस्था से कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगी जिसकी रिस्क एण्ड कॉस्ट
25. की वसूली संस्था के बकाया बिलो से जावेगी तथा संस्था की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एव कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा।
26. सफल निविदादाता के द्वारा ही उपरोक्त कार्य की ऑपरेशन सेंटर में दिये गये श्वानों के ऑपरेशन की प्रति माह की सीडी/पैन ड्राईव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो कि प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी, इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।
27. सफल निविदादाता श्रम अधिनियमो/उप नियमो की पालना करनी होगी, तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना करनी होगी। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के जीएसटी, अन्य ईत्यादि कर चुकाने की जुम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी।
28. ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाने की समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादता की ही होगी। संबंधित विभाग में किसी भी तरह का बकाया होगा तो उसकी भी समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की ही होगी। इसके लिए निगम किसी भी तरह से उतरदायी नहीं होगा। ईपीएफ एव ईएसआई जमा राशि के चालान श्रमिको के नाम सहित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
29. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। इसके लिए निगम कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।
30. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् अगर निविदादाता कार्य करने में असफल रहता है तथा कार्य संतोषजनक रूप से संपादित नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा पुन निविदा में भाग लेने विवर्जित हो जायेगा।
31. निविदा में किसी भी तहर का विवाद होने पर अंतिम निर्णय नगर निगम का मान्य होगा।
32. निविदा एवं निविदा शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।
33. जिस वार्ड में श्वानों को पकडकर बंध्याकरण करनें ले जाया जाता है उस समय उक्त वार्ड के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण करवाना होगा।

उक्त अनुबंध पत्र की शर्त संख्या 01 से 33 तक पढकर, सुनकर मनन करने के पश्चात् दोनों पक्ष इनकी पालना हेतु अपने को पाबंद करते है।

अनुभाग अधिकारी बीकानेर नगर निगम	स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर नगर निगम	मुख्यलेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम	आयुक्त बीकानेर नगर निगम